1/2/21 पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार/पटवार हल्का रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपने खेत/कृषि भूमि को चक 4 आरटीएम की आबादी से जोड़ने के लिए एकबारराज एवं वन विभाग की भूमि से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। आबादी से पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ता लगता है एवं चाहा गया रास्ता भी लघुतम नहीं है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की भूमि से भी रास्ता स्वीकृत करने की शक्ति न्यायालय हाजा को नहीं है।

अतः उक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत हस्तगत प्रार्थना पत्र के विचारण का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। फलतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25 के रा. का. अ. एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

1/2/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner